	राजस्थान राज–पत्र	Regd. No. R.J. 2539 RAJASTHAN GAZETTE
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 8, गुरूवार, शाके 1909–जुलाई 30,1987	
	Sravana 8, THURSDAY, SAKA 1909 – JULY 30, 1987	

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम

गृह (ग्रुप–2) विभाग
जयपुर, मई 27, 1987

राजस्थान पुलिस कल्याण निधि नियम, 1986

जी.एस. आर. 33 :– राज्यपाल महोदय निम्नलिखित नियम बनाते है :–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :–
(1) ये नियम राजस्थान पुलिस कल्याण निधि नियम, 1986 कहलायेंगे ।
(2) ये नियम इनके जारी होने की तारीख से प्रभावशील होंगे ।

2. प्रयोज्यता विस्तार :–

राजस्थान में सभी पुलिस कर्मचारियों को, जिसमें किसी अन्य सरकारी विभाग, संगठन, स्वायत शाषी निकायों आदि में प्रतिनियुक्त पर कर्मचारी तथा पुलिस विभाग के अस्पताल कर्मचारियों के साथ सेवा कर रहे लिपिक वर्गीय एवं नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं एतदधीन नियम 3 (4) में यथा परिभाषित "तकनीकी कर्मचारी" शामिल हैं, इन नियमों के अधीन लाभ प्राप्त होगा, परन्तु यह कि उन्होंने अपना अभिदान, जो सरकार के गृह विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जाए, राजस्थान पुलिस कल्याण निधि में नियमित रूप से भुगतान कर दिया हो ।

3. परिभाषायें :–

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(1) "वर्ष" से तात्पर्य किसी वित्तीय वर्ष से है ।

(2) "सदस्य" से तात्पर्य राजस्थान पुलिस के सदस्य से है, जिसमें पुलिस विभाग में संवारत लिपिक वर्गीय एवं नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं तकनीकी कर्मचारी शामिल है ।

प्रमाणित

अनुभागाधिकारी
गृह (ग्रुप–2) विभाग
सचिवालय, जयपुर

53

(3) परिवार में निम्न सम्मिलित है :–

(क) पुरूष सदस्य के मामले में उसकी पत्नी

(ख) महिला सदस्य के मामले में उसका पति

(ग) अवस्यक पुत्र एवं पुत्रियां तथा अविवाहित एवं विधवा पुत्रियां

(घ) आश्रित पिता, माता एवं अविवाहित बहिनें एवं 18 वर्ष की आयु तक के भाई

(ड़) दत्तक पुत्र एवं पुत्रियां, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि जब भी मांग की जाएगी, इसका वैध प्रमाण प्रस्तुत करना होगा ।

(4) "तकनीकी कर्मचारी" से तात्पर्य राजस्थान विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान पुलिस कम्प्यूटर सेंटर, अंगुलिछाप (फिंगर प्रिन्ट) ब्यूरों, राज्य पुलिस वायरलैस, राजस्थान पुलिस अकादमी आदि में सेवारत सभी कर्मचारियों से है तथा इसमें ये शामिल है :–

(5) "सरकार" से तात्पर्य राजस्थान राज्य की सरकार से है ।

(6) "निधि" से तात्पर्य राजस्थान पुलिस कल्याण निधि से है ।

(7) "बोर्ड" से तात्पर्य राजस्थान पुलिस कल्याण निधि बोर्ड से है ।

(8) "हिताधिकारी" से तात्पर्य बल के ऐसे सदस्य से है, जो निधि से सहायता के लिए अधिकृत है तथा इसमें निम्नलिखित शामिल है :–

(क) कोई आश्रित जैसा कि एतद्पश्चात् परिभाषित किया गया है ।

(ख) बल का कोई सदस्य (1) जो सेवा, सामरिक, जलवायु सम्बन्धी किसी घटना के कारण या अन्यथा प्रकार से सेवा से निवृत हो जाता है, (2) सेवा करने में अशक्त हो जाता है ।

(ग) बल का कोई भूतपूर्व सदस्य, जो वित्तीय दृष्टि से संकट की परिस्थितियों में हो या जो अपने पुर्नवास हेतु सहायता चाहता हो ।

(घ) बल का कोई सेवारत सदस्य, जो किसी अन्य निधि से सहायता प्राप्त नहीं कर सकता है ।

(9) "समिति" से तात्पर्य इन नियमों के अधीन गठित समिति से है ।

(10) "आश्रित" से तात्पर्य बल के किसी भी सदस्य की उस पर आश्रित पत्नी, न कमाने वाले पुत्र, न कमाने वाली अविवाहित या विधवा पुत्रियां, न कमाने वाली अविवाहित या विधवा बहिनें तथा न कमाने वाले माता–पिता से है । अभिव्यक्ति "आश्रित" में, यदि पिता जीवित न हो तो अवस्यक भाई शामिल होंगे ।

(11) "नियमों" से तात्पर्य राजस्थान पुलिस कल्याण निधि नियमों से है ।

प्रमाणित

अनुभागाधिकारी
गृह (ग्रुप 2) विभाग
शासन सचिवालय जयपुर

(54)

4. उदेश्य :–

निधि के उदेश्य निम्नलिखित होंगे :–

(क) निम्नलिखित को वित्तीय सहायता प्रदान करना :–

(1) नियम में यथापरिभाषित हितधिकारियों को क्षय रोग (टीबी) कैंसर या बड़े ऑपरेशन जैसे विशेषकृत उपचार की लम्बी चलने वाली गंभीर बीमारियों के उपचार के सम्बन्ध में, जब यह व्यय किन्हीं अन्य नियमों के अधीन, जो प्रभावशील हो, सामान्य रूप से स्वीकार्य नही होते है।

(2) कोई भी सदस्य, उसके ड्युटी पर रहते हुए गम्भीर चोट से पीड़ित होने पर ।

(3) जिन पुलिस कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय लापता घोषित किया हुआ है, उनके परिवार ।

(4) जिलों/इकाइयों को :–

(अ) शैक्षिक, सांस्कृतिक या चिकित्सीय संस्थाओं जैसे अस्पतालों, पुस्तकालयों, औषधालयों आदि का प्रारम्भ करने, उनका रख–रखाव करने एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिये ।

(ब) खेल–कूदों क्रीड़ा प्रतियोगिताओं (एथलीटिक्स), सांस्कृतिक एवं मनोरंजनात्मक गतिविधियों का बढ़ावा देने के लिये ।

(स) सदस्यों के परिवारों के लाभ के लिए पुलिस लाईनों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने, प्रोत्साहित करने एवं विकसित करने के लिये ।

(5) युद्व व शत्रुओं की गतिविधियों में, शत्रु सैन्य दलों/एजेन्टों, घुसपैठियों के विरूद्व सामरिक गतिविधियों में या डाकुओं या अन्य विध्वंसक तत्वों के साथ मुकाबलों/मुठभेड में चोटग्रस्त हुए सदस्य।

(6) राजस्थान पुलिस की जिला इकाइयों या अन्य संस्थानों को उनके भोजनालयों (मैस), केन्टीनों, चिकित्सालयों, अस्पतालों, विद्यालयों या ऐसी कल्याणकारी परियोजनाओं को, जो महानिदेशक पुलिस, द्वारा अनुमोदित की जाये, अनुदान या ऋण के रूप में ।

(7) अपने नियन्त्रण के वाहन के कारणों यथा प्राकृतिक आपदाओं आग आदि के कारण विपति में पड़ने पर या वित्तीय सहायता की भंयकर आवश्यकता होने पर उनके परिवारों के सदस्यों को ।

(ख) निम्न प्रकार की सुख–सुविधायें प्रदान करना जैसे :–

(1) पुलिस क्लबों एवं भोजनालयों (मैसों) का निर्माण/साज–सज्जा एवं रख–रखाव ।

(2) मनोरंजन कक्षों का निर्माण । साज–सज्जा ।

(3) निधि के सदस्यों के एक मात्र उपयोग के लिए अवकाश गृहों (हालीडे होम) और इस तरह के संस्थानों का निर्माण । साज–सज्जा ।

(4) निधि के सदस्यों को बालकों के लिए चिकित्सालयों, क्लीनिकों, प्रसूति–गृहों, शिशु–गृहों, परिवार नियोजन केन्द्र, आरोग्य शाला (सैनिटोरियम ब्लाक) मन्दिरों, अस्पतालों का प्रावधान ।

(5) स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए वाहन सुविधा ।

(6) उनके लिए पुस्तकालय एवं पुस्तकें ।

(7) पुलिस लईनों, पुलिस स्टेशनों, प्रशिक्षण संस्थानों में रेडियों, टेलीविजन सेट, वी.सी.आर., जन संबोधन–उपकरण ।

(8) पेय जल की सुविधाएं :– जैसे जल भण्डारण के लिए टैंक, वाटर कूलर्स ।

(9) अन्य ऐसी सुख–सुविधाएं जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जावे ।

(ग) निम्नलिखित पर प्रारम्भिक व्यय को वहन करने के लिए जिलों, इकाइयों को अपेक्षित निधियां प्रावहित करना :–

(1) सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर सदस्यों के अन्तिम दाह संस्कार के लिये ।

(2) शव को ले जाने के लिए ।

(3) सदस्यों की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने के मामले में, उनकी विधवाओं, अन्य उतराधिकारियों को मरणोपरान्त सहायता का भुगतान, आंशिक भुगतान करने के लिए ।

(घ) पुलिस कल्याण निधि के संचालित पुलिस अस्पतालों, चिकित्सालयों में सदस्यों एवं उनके परिवार की चिकित्सा परिचर्या के लिए नियुक्त डाक्टरों को मानदेय देना ।

(ड) निम्नलिखित अपवादस्वरूप परिस्थितियों में ऐसी अवधि तक जो निम्न कम सं. 1 व 3 के लिये 60 व कम सं. 2 के लिए 12 माह से अधिक की नहीं होगी, ब्याजमुक्त ऋण/अग्रिम देना ।

1. आपत्तिक मामलों में, जब पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर तत्काल बाहर भेजा जाना आवश्यक हो, परन्तु यात्रा भत्ता अग्रिम का भुगतान संभव न हो ।
2. हितकारियों के आपात्तिक ऑपरेशन के मामले में, जिसमें भारी व्यय किया जाना हो ।
3. जब ऋण, अग्रिम किसी अन्य निधि से स्वीकृत नहीं किया जा सकता हो, अत्यधिक अनुकम्पा आधारों पर ।

ऋण अग्रिम की राशि अध्यक्ष द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाएगी और ऐसा ऋण अग्रिम यात्रा भत्ता अग्रिम या चिकित्सा पुनर्भरण आदि से यथा शीघ्र किन्तु हर दशा में, ऐसे अग्रिम के भुगतान की तारीख से उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि के भीतर वसूल किया जावेगा ।

(गृह ग्रुप–2) विभाग के पत्र संख्या एफ. 20 (क) (1) ग्रुप–2/92 दिनांक 30.7.2009 के निर्देशानुसार ।

5. निधि का राज्य स्तरीय प्रबन्ध एवं प्रशासन :–

(1) निधि का प्रशासन राजस्थान पुलिस कल्याण बोर्ड द्वारा किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी एवं सदस्य होंगे :–

1.	महानिदेशक पुलिस	पदेन अध्यक्ष
2.	अति. महानिदेशक पुलिस/ महानिरीक्षक पुलिस, आयोजना एवं कल्याण, राज0, जयपुर	पदेन उपाध्यक्ष
3.	पुलिस अधीक्षक/अति. पुलिस अधीक्षक, आयोजना एवं कल्याण, जयपुर (उपलब्ध वरिष्ठ अधिकारी)	मानद सचिव
4.	वित्तीय सलाहकार, पुलिस मुख्यालय, जयपुर	पदने मानद् कोषाध्यक्ष
5.	महानिरीक्षक पुलिस, कानून एवं व्यवस्था, प्रशासन, जयपुर	पदेन सदस्य
6.	महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज – प्रथम, जयपुर	पदेन सदस्य
7.	उप महानिरीक्षक पुलिस, आरएसी रेंज – प्रथम, जयपुर	पदेन सदस्य
8.	पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) जयपुर शहर	पदेन सदस्य
9.	कमाण्डेन्ट, आर.ए.सी., जयपुर	पदेन सदस्य
10.	अति. पुलिस अधीक्षक	मनोनीत सदस्य
11.	उप पुलिस अधीक्षक	मनोनीत सदस्य
12.	पुलिस निरीक्षक	मनोनीत सदस्य
13.	उप निरीक्षक	मनोनीत सदस्य
14.	सहायक उप निरीक्षक	मनोनीत सदस्य
15.	हैड कानिस्टेबल	मनोनीत सदस्य
16.	कानिस्टेबल	मनोनीत सदस्य
17.	मंत्रालयिक कर्मचारी	मनोनीत सदस्य
18.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	मनोनीत सदस्य

(गृह ग्रुप–2) विभाग के पत्र संख्या प. 20 (क) (1) ग्रुप–2/92 दिनांक 8.11.2004 के निर्देशानुसार ।

प्रमाणित

शासन सचिवालय, जयपुर

(2) निधि की समस्त आरक्षित एवं बेसी (सरप्लस) राशि को, कोषागार, कार्यालय, जयपुर में ब्याज देयक पी.डी. लेखे में जमा कराया जाएगा ।

(3) इतनी पर्याप्त राशि, जो 3 माह की अवधि के लिए अपेक्षित हो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के लेखे में रखी जाएगी और उसके लिए भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक में या सरकार द्वारा प्रवर्तित किसी सहकारी बैंक में, जैसा कि राजस्थान पुलिस कल्याण बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जावे, निधि के नाम से एक लेखा खोला जाएगा ।

(4) सरकारी अनुदान की प्राप्ति अंतरण की सुविधा के लिए कोषाधिकारी, जयपुर के यहा निधि का एक पी.डी. लेखा भी संधारित किया जाएगा ।

6. **बैठक की गणपूर्ति आदि :–**

(1) राजस्थान पुलिस कल्याण बोर्ड की बैठक उतनी ही बार जितनी आवश्यकता हो, किन्तु 6 माह में एक बार अवश्य, आयोजित की जाएगी ।

(2) राजस्थान पुलिस कल्याण बोर्ड की बैठकों, की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाएगी । अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

(3) बैठक की गणपूर्ति ग्यारह सदस्यों (अध्यक्ष और, या उपाध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए) की उपस्थिति पर पूरी होगी ।

(4) सभी निर्णय बहुमत से लिये जायेंगे ।

(5) अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग मतों के बराबर होने पर ही करेगा ।

7. **वित्तीय शक्तियां :–**

कल्याण निधि बोर्ड के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा निम्नलिखित वित्तीय शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा :–

		आवर्तक	अनावर्तक
1–	अध्यक्ष	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
2–	उपाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू. 5,000/– तक	प्रत्येक मामले में रू. 50,000/– तक
3–	मानद सचिव	प्रत्येक मामले में रू. 5,00/– तक	प्रत्येक मामले में रू. 5,000/– तक

उक्त शक्तियों के प्रयोग में स्वीकृत व्यय को, राजस्थान पुलिस कल्याण निधि बोर्ड की अगली बैठक में अनुमोदित किया जाएगा ।

7 (क) वित्तीय शक्तियां (जिला/यूनिट स्तर पर)

		आवर्तक	अनावर्तक
1–	पुलिस अधीक्षक/ कमाण्डेन्ट	रू. 1,000/– तक प्रत्येक मामले में	रू. 7,500/– तक प्रत्येक मामले में

उक्त शक्तियों के प्रयोग में स्वीकृत व्यय को राजस्थान पुलिस कल्याण निधि बोर्ड की अगली बैठक में अनुमोदित करवाया जायेगा ।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष किसी भी आपातकालीन मामले में 50/रू. तक अनावर्तक मद अन्दर स्वीकृत कर सकता है, लेकिन अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा उक्त शक्तियों के प्रयोग में स्वीकृत व्यय का राजस्थान पुलिस कल्याण निधि बोर्ड (जिला इकाई) की अगली बैठक में अनुमोदित करवाया गया ।

(गृह ग्रुप–2) विभाग के पत्र संख्या एफ. 20 (क) (1) ग्रुप–2/92 दिनांक 16.9.10 के निर्देशानुसार

8. कर्तव्य एवं दायित्व :–

(1) **अध्यक्ष** :– अध्यक्ष मुख्य अधिशासी होगा । वह राजस्थान पुलिस कल्याण निधि के कुशलतापूर्वक मितव्ययी तथा परिणाम परक प्रबन्ध के लिए उतरदायी होगा । वह निधि के प्रबंध से संबंधित आपातिक मामलों में तथा विपत्ति में फंसने पर उनके परिवार के सदस्यों को सहायता देने के लिए अपने स्वयं के निर्णयों के अनुसार राजस्थान पुलिस के सदस्यों के सर्वोतम हित में निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्र होगा । तथापि, उसके द्वारा इस तरह लिए गए निर्णयों पर राजस्थान पुलिस कल्याण निधि बोर्ड से अनुमोदन करवाना होगा ।

(2) **उपाध्यक्ष** :– राजस्थान पुलिस कल्याण निधि बोर्ड या और अध्यक्ष द्वारा उसे दिए गए निर्देशों, अनुदेशों, मार्गदर्शनों के अनुसार निधि की उचित एवं कुशलता–पूर्वक प्रबन्ध के लिए उत्तदायी होगा । वह प्राप्तकर्ता व्यक्ति, जिला इकाई जैसी भी स्थिति हो, की सहायता, वित्तीय सहायता, ऋण राशि का तुरन्त एवं शीघ्र भुगतान कराने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

(3) **मानद सचिव** :– मानद सचिव, उपाध्यक्ष की पूर्ण देख–रेख में निधि का समस्त प्रशासनिक कार्य करेगा । कल्याणकारी बोर्ड की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करेगा और कल्याणकारी बोर्ड की बैठकों का संचालन करेगा, बैठकों के दौरान संपादित क्रिया–कलापों को संचालित करेगा एवं उनका अभिलेख संधारित करेगा । वह अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को उनसे सम्बन्धित कार्यो, कर्तव्यों के निर्वहन में भी सहायता करेगा ।

प्रमाणित

(4) मानद कोषाध्यक्ष :– मानद कोषाध्यक्ष लेखों, रोकड़ बही (केश बुक) खातों एवं निधि के वित्तीय लेन–देन से सम्बन्धित अन्य आवश्यक अभिलेखों के उचित संधारण के लिए उत्तरदायी होगा और जब और जहां अपेक्षित हो, बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए तुलन–पत्र (बैलेंस शीट) लाभ–हानि के लेखे आदि तैयार करने की व्यवस्था करेगा । वह निधि में से विनियोजन करने से सम्बन्धित मामलों पर अध्यक्ष तथा बोर्ड के वित्तीय सलाहकार के रूप में भी कार्य करेगा ।

9. निधि में आय के स्त्रोत :–

निधि का गठन एवं समर्थन निम्न स्त्रोतों से अनुदान ।

(1) राजस्थान सरकार या भारत सरकार से अनुदान ।

(2) पुलिस अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों, निगमित निकायों, सार्वजनिक निकायों, औद्योगिक एवं व्यवसायिक घरानों, सामाजिक संगठनों आदि से किसी सरकारी प्राधिकार का उपयोग किए बिना प्राप्त दान ।

(3) जिला/इकाई पुलिस कल्याण एवं केन्टीन निधि से उसकी वार्षिक आय के 20 प्रतिशत की समान दर से अंशदान, जिसका भुगतान पूर्व वर्ष के सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष 1 मई को किया जाएगा ।

(4) जिला, इकाई बैण्ड निधि से उनकी सम्बन्धित शुद्ध आय की 25 प्रतिशत की सीमा तक अंशदान, जिसका भुगतान पूर्व वर्ष के सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष की 15 अप्रेल को किया जाएगा । परन्तु यह कि आगामी 6 माह के दौरान बैण्ड के रख–रखाव तथा बैण्ड कर्मचारियों को भत्तों के भुगतान के व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधि पीछे बची हुई हो ।

(5) राजस्थान पुलिस हितकारी निधि से, उसकी शुद्ध वार्षिक बचत के 25 प्रतिशत की एक रूप दर (फ्लेट रेट) से या ऐसी दर जो महानिदेशक पुलिस, राजस्थान हितकारी निधि समिति की सहमति से किसी वर्ष विशेष के लिए निर्धारित करें, अंशदान ।

(6) कल्याणकारी परियोजनाओं तथा समग्र निधि विनियोजन से आय ।

(7) सरकार के अनुमोदन से आयोजित प्रदर्शनों, संगीत सम्मेलन, प्रदर्शनियों, लाटरियों आदि से आय, परन्तु यह कि :–

(क) ऐसे संगीत सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, लाटरियों आदि के टिकटों को बेचने के लिए न तो किसी शासकीय प्राधिकार का उपयोग किया जायेगा और न ही किसी सदस्य/पुलिस कर्मी को लगाया जाएगा ।

प्रमाणित

(ख) प्रत्येक ऐसे प्रदर्शन, संगीत सम्मेलन, प्रदर्शनों, लाटरी आदि की प्राप्ति एवं व्यय का एक ब्यौरे बार लेखा संधारित किया जाएगा और आय के अनुमोदन एवं स्वीकृति के लिए उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।

(8) पुलिस बल के सेवारत सदस्यों से मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक/वार्षिक अभिदान की राशि समय-समय पर सरकार के अनुमोदन से निर्धारित की जाएगी ।

गृह (ग्रुप-2) विभाग के पत्र संख्या एफ. 20 (क) (1) ग्रुप-2/92 दिनांक 9.3.2007 के निर्देशानुसार ।

राजस्थान पुलिस कल्याण निधि नियम, 1986 के नियम 9 (8) के अन्तर्गत पुलिस बल के सेवारत सदस्यों से निम्न विवरण के अनुसार अर्द्धवार्षिक अभिदान की राशि लिए जाने की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति सूचित करने का निर्देश हुआ है ।

(राशि रूपयों में)

क्र.सं.	वेतन वर्ष में	कुल वार्षिक अभिदान
1	रू. 3540/- तक	30
2	रू. 3541 से 4900/- तक	60
3	रू. 4901 से 6000/- तक	80
4	रू. 6001 से 8000/- तक	120
5	रू. 8001 से 10500/- तक	200
6	रू. 10501 से 13500/-तक	300
7	रू. 13501 से 16500/-तक	400
8	रू. 16501 से 22400/-तक	600
9	रू. 22400 से अधिक	800

अभिदान सेवारत सदस्यों से प्राप्त किये जाने, कल्याण निधि में जमा किये जाने तथा लेखाकंन किये जाने के संबंध में निधि नियम, 20 का ध्यान रखते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश महानिदेशक पुलिस, राजस्थान द्वारा अलग से प्रसारित किये जावेगें ।

गृह (ग्रुप-2) विभाग के पत्र संख्या प. 20 (क) (1) ग्रुप-2/92 दिनांक 9.6.2004 के निर्देशानुसार ।

10. वित्तीय सहायता का मान :-

(1) इन नियमों के अधीन उपलब्ध कराये जाने वाले लाभों की दरें/मात्रा/स्वरूप आदि का विनिश्चय प्रत्येक वर्ष अप्रेल माह में, उस वर्ष की 1 अप्रेल को निधि की वित्तीय स्थिति को तथा अगले छः माह के दौरान संभावित प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा ।

(2) तथापि, अध्यक्ष जरूरतमन्द व्यक्ति को बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारंभिक अनुदान स्वीकृत करने के लिए सक्षम होगा । ऐसे भुगतान को बोर्ड की ठीक अगली बैठक में बिना किसी विलम्ब के अतिरिक्त अनुदान के लिए या अन्यथा प्रकार से ऐसी सिफारिशों के साथ जो उस अवसर द्वारा आवश्यक हों, ध्यान में लाया जाएगा ।

11. निधि से भुगतान :-

(1) सम्बन्धित व्यक्ति या जिला, इकाई को वित्तीय सहायता/अनुदान/ऋण या अग्रिम राशि का भुगतान बोर्ड द्वारा/तत्प्रयोजनार्थ विहित उचित रूप से मुद्रित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने पर ही किया जाएगा । तथापि, आपातिक मामलों, में ऐसी वित्तीय सहायता/ऋण/अग्रिम आदि स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस शर्त में शिथिलता बरती जा सकती है ।

(2) एक बार ऐसी वित्तीय सहायता स्वीकृत हो जाने पर मानद कोषाध्यक्ष उचित रसीद लेकर प्राप्ति कर्ता को उसका शीघ्र वितरण करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

12. निधियां का अतंरण :-

पुलिस कल्याण बोर्ड इस निधि से किसी भी जिला पुलिस कल्याण निधि में या किसी भी जिला पुलिस निधि से इस निधि में एवं एक जिला पुलिस कल्याण निधि से दूसरी जिला पुलिस कल्याण निधि में निधियों का अतंरण करने के लिए सक्षम होगा ।

जिला स्तरीय प्रबन्ध एवं प्रशासन :–

13. जिला स्तरीय इकाई का गठन :–

नियमों में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये, जिलों में समस्त सदस्यों के कल्याण के लिए सभी पुलिस जिलों में इकाइयां होंगी ।

14. जिला स्तरीय इकाइयों का प्रशासन :–

जिला स्तर पर निधि का प्रशासन एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

1.	पुलिस अधीक्षक	पदेन अध्यक्ष
2.	उप पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)	पदेन उपाध्यक्ष
3.	पुलिस अधीक्षक कार्यालय का हैड क्लर्क	मानद सचिव
4.	पुलिस अधीक्षक कार्यालय लेखाकार	पदेन मानद कोषाध्यक्ष
5.	पुलिस लाईन का रिजर्व इन्सपेक्टर	सदस्य

15. बैठक, गणपूर्ति आदि :–

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगा और अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के अलावा दो सदस्यों की उपस्थित होने पर गणपूर्ति (कोरम) होगी ।

बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे । सिवाय इसके कि जब मतों की संख्या बराबर हो, अध्यक्ष अपना मत नही देगा ।

16. जिला स्तरीय ईकाई के पदाधिकारियों के कर्तव्य एवं दायित्व :–

जिला पुलिस अधीक्षक/यूनिट कमाण्डेन्ट निधि के नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेखों के उचित संधारण के लिए पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा । मानद–कोषाध्यक्ष प्राप्ति कर्ता से उचित रसीद लेकर शीघ्र वितरण के लिए उत्तरदायी होगा ।

17. जिला स्तरीय इकाई की आय के स्त्रोत :–

(1) जिला स्तरीय इकाई की आय का मुख्य स्त्रोत वे निधियां होंगी, जो राजस्थान पुलिस कल्याण बोर्ड द्वारा इसमें अन्तरित की जाएगी ।

(2) इसके अलावा, जिला स्तरीय इकाई राजस्थान पुलिस कल्याण निधि की पूर्व अनुमति से स्वैच्छिक अंशदानों, दानों, केन्टीन लाभों, अभिन्य प्रदर्शनों (स्टोजिंग शेड) एवं तैयारियों द्वारा या सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य तरीके से निधियां एकत्रित करने के लिए सक्षम होगी ।

(3) (नियम 5) समस्त बेशी (सरप्लस) निधि कोषागार में ब्याज देय पी.डी. लेखा खोल कर रखी जाएगी ।

(64)

18. मानदेय :—

(1) निधि के कार्य को करने लिए कम से कम संख्या में उपयुक्त व्यक्तियों को लगाया जाएगा ।

(2) निधि से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्तियों का मानदेय दिया जा सकता है । मानदेय की राशि, यदि कोई हो, और भुगतान के तरीके का निर्धारण राजस्थान पुलिस कल्याण निधि बोर्ड द्वारा किया जाएगा । इस प्रकार विनिश्चित किये गये मानदेय का निधि से भुगतान किया जाएगा ।

19. राजस्थान पुलिस कल्याण निधि का पी.डी. एवं बैंक लेखा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से प्रचालित होगा ।

20. लेखा पद्धति :—

(1) राजस्थान पुलिस कल्याण निधि का मानद कोषाध्यक्ष उचित लेखे रखेगा ।

(2) प्रत्येक माह की 10 तारीख को मानद कोषाध्यक्ष प्राप्तियों एवं भुगतानों को दर्शाते हुए मासिक विवरण पत्र तैयार करेगा जो मानद सचिव के माध्यम से उपाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रेल से 31 मार्च की अवधि ही लेखा वर्ष होगी ।

(4) मानद कोषाध्यक्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उस वर्ष के दौरान प्राप्तियों एवं भुगतानों को दर्शाते हुए एक समेकित वार्षिक लेखा तैयार करेगा और उसे पुलिस कल्याण निधि बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, आगामी वर्ष की 30 अप्रेल से पूर्व अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा ।

(5) मानद कोषाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि आहरण एवं भुगतान के रजिस्टर उचित ढंग से संधारित किए गए हैं और वितरण के उचित हिसाब को व्यवस्थित आंतरिक जांच के लिए उचित प्रावधान किए गए हैं ।

21. लेखों की अंकेक्षा :—

(1) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 2 माह के भीतर, पुलिस विभाग के आंतरिक अंकेक्षा दल द्वारा निधि के लेखों की अंकेक्षा की जाएगी । इस अंकेक्षा प्रतिवेदन को राजस्थान पुलिस कल्याण निधि बोर्ड के समक्ष उस की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) इसके अतिरिक्त, राजस्थान पुलिस कल्याण निधि बोर्ड के किसी ऐसे सदस्य/सदस्यों द्वारा जिसे बोर्ड मनोनीत करें, किसी भी समय लेखों की जांच की जा सकेगी ।

प्रमाणित

इस प्रकार मनोनीत सदस्य, पुलिस विभाग में पदस्थापित किसी भी लेखा कर्मचारी की सहायता ले सकेगा/सकेगें ।

(3) यदि आवश्यक हो, तो निधि के लेखों को वार्षिक अंकेक्षा करने के लिए और लेखों के उचित संधारण करने के लिए कर्मचारियों को मार्ग प्रदर्शन हेतु किसी चार्टर्ड लेखाकार को भी नियोजित किया जा सकेगा ।

22. आय कर :–

निधि में आय पर तथा निधि में किए गए अंशदानों पर आयकर के भुगतान से छूट, आयकर अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्राप्त की जाएगी ।

23. समाप्त (फण्डेम) करने एवं अपलेखन की शक्तियां :–

प्राधिकारी	शक्तियां
1. अध्यक्ष	पूर्ण शक्तियां
2. उपाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में 25,000/– रूपये तक

इसके लिए बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।

(संख्या प. 20 (क) (1)
गृह–2/85)
राज्यपाल की आज्ञा से
एच. एस. रमणी
आयुक्त एवं शासन सचिव, (गृह) ।